


:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "मध्यान्ह भोजन सहायता" योजना की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-09/1560/36-2-2014-62/2014 दिनांक 17.11.2014 द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में एतद्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "मध्यान्ह भोजन सहायता" योजना अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

  
(केकेकेपुरवार)  
सचिव, बोर्ड

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ


पत्रांक 6453-60

/भ0नि0बो0-( )/14

दिनांक:- 19/11/14

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
02. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
03. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
04. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
05. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
06. मेसर्स-मार्ग सॉफ्टवेयर साल्यूशन, लखनऊ को इस आशय के साथ कि अधिसूचना को योजना के साथ वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
07. गार्ड फाइल हेतु।
08. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-09/1560/36-2-2014-62/2014 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में सूचनार्थ।  
संलग्नक:-यथोक्त।

  
(राजीव मिश्रा)  
सहायक सचिव, बोर्ड